फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी** मुकाम **सूरजगढ़**

राज0 सरकार बनाम **गुलज़ारी**

किस्म मुकदमा धारा **177 आर.टी.एक्ट** मुकदमा न0 **22/2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.07.2022	आज यह पत्रावली प्रार्थी मन्दरूप की ओर से जरिये अधिकाक्ता श्री सोमवीर एड. ने मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 01 रूल 10 सीपीसी पेश किया। जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया, जिनका कथन है कि वाद वर्णित भूमि का एक हिस्सा प्रार्थी ने जरिये विकय पत्र भूमि कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा कुछ हिस्सा आवासीय रूपान्तरण करवाया लिया है। इस प्रकार प्रार्थी को वाद वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार होने से पक्षकार वाद बनाया जाना न्यायोचित है। है। प्रार्थी की ओर से वर्तमान जमांबदी संलग्न की जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जवाबदावा के अवसर का निवेदन किया। वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वादवर्णित भूमि के हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि वाद वर्णित भूमि के अधिकतर हिस्से का रूपान्तकरण हो चुका है इसलिए मौजुदा वाद खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान नकल जामाबंदी का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वाद वर्णित भूमि ख.नं. 397 वाके मौजा जाखोद वाद दायरी के पश्चात अलग अलग हिस्सों में विकय होकर नामान्तरकरण दर्ज होकर नये खसरा नम्बर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके है। कई हिस्सों में रूपान्तरकरण की कार्यवाही होकर नामान्तरकण दर्ज हो चुके है। चूंकि वादवर्णित भूमि की खातेदारी व किस्म पूरी तरह से बदल चुकी है इसलिए अब मौजुदा वाद का आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की सपठित धारा 91 के तहत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	